

डा. ३६७/२५-२६

दिनांक:-17/12/2025

सेवा मे,

लोक सूचना पदाधिकारी

पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

विश्वेश्वरैया भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना, बिहार(800015) |

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त कराने के संबंध में ।

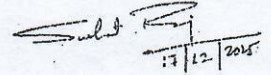
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचना प्राप्त करना है की बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या:- 28 / 2025 के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के कुल 2653 रिक्त पदों पर नियुक्ति निकाली गई है, जिसमे से पथ निर्माण विभाग विभाग मे रिक्त पदों की संख्या कुल 376 बताई गई है । संबंधित विभाग के कुल 376 रिक्त हेतु वर्तमान मे विज्ञापित पदों मे से :-

1. कोटिवार कुल कितने ऐसे पद है जो पूर्व के विज्ञापन संख्या 01/2019 मे रिक्त रह जाने पश्चात उनका समायोजन वर्तमान मे प्रकाशित विज्ञापन संख्या 28/2025 मे किया गया है ।

संलग्न:- २१० का भुगतान प्रमाण  
(IPO No.- 66F 565739)

विश्वासभाजन

  
17/12/2025

(सुशान्त राज)

ई मेल:- sushantraj03@gmail.com

मो०:- 8676859621

पता:- अंजू मैडम का मकान

गोवर्धन चौक, मोकरी रोड,

अरवल, बिहार (804401)

09/12/2025  
02/01/26

शुक्ला वीरमल  
07/01/2026

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-367/25-26 न० १४(९) पटना, दिनांक-6/01/2026

प्रेषक:

लोक सूचना पदाधिकारी,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री सुशान्त राज का सूचना आवेदन दिनांक-17.12.2025 जो इस विभाग में दिनांक-31.12.2025, को प्राप्त हुआ है, (आई०डी०सं०-367/25-26) इसके साथ संलग्न किया जाता है :-

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा-5 (4) के आलोक में प्रपत्र-'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा-5 (5) के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र-'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के आलोक में वांछित सूचना दो सेट में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*General*  
लोक सूचना पदाधिकारी

दिनांक-6/01/2026

ज्ञापांक-18(९)

प्रतिलिपि : उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

*General*  
लोक सूचना पदाधिकारी

13

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग**

पत्र सं०—प्र० 3/सू०—13—03/2026 215(E)

पटना, दिनांक :- 13/01/2026

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी—03  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत श्री सुशान्त राज द्वारा याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। (आई0डी0 सं०—367/2025—26)

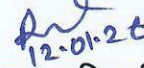
प्रसंग :- आपका पत्रांक—78 (ई) अनु०, दिनांक—06.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त सूचना प्रपत्र—'क' में आवेदक द्वारा याचित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा—2 (च) के आलोक में सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। अतः याचित सूचना देय नहीं है।

अनुरोध है कि आवेदक को अपने स्तर से सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

  
12.01.26  
प्रशाखा पदाधिकारी—03,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

80  
सूचना-0  
14/01/26  
रुनी कोमल  
14-01-2026

प्रपत्र 'घ'  
(सूचना उपलब्ध कराना)  
(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-367/25-26 301(E) पटना, दिनांक-15/01/2026

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री सुशान्त राज,  
पिता-शम्भु शरण सिंह,  
अंजू मैडम का मकान,  
गोवर्धन चौक, मोकरी रोड,  
जिला-अरवल, बिहार-804401,  
मो०-8676859621

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक-17.12.2025 जो इस विभाग में दिनांक-31.12.2025, को प्राप्त हुआ है, (आई०डी०सं०-367/25-26) में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :-

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-215 (E) दिनांक-13.01.2026 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक-301(E) मा सं०.....  
प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी  
पटना, दिनांक-15/01/2026

लोक सूचना पदाधिकारी  
पटना, दिनांक-15/01/2026